अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

सदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख स0 62/19-20

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
23/3/19	झारखंड सरकार के ज्ञापाक–2074/रा0 दिनांक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0 म0 निति–119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या–914/रा0 दिनांक 09.12.1998 मे निहित निर्देश के अनुपालन मे गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियो की जॉच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम मे हल्का राजस्व उपनिरिक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है– मौजा– कोलाकुसमा मौजा न0– 12 खाता न0 76,123,142 प्लॉट न0 61,74,75,82 रकबा 5 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या 17 के पृष्ठ संख्या 3/83 पर जमाबंदी रैयत वासुदेव प्र0 वर्णवाल पिता–स्व. मुकुन्द मोदी के नाम से कायम है। हल्का राजस्व उपनिरिक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जॉच प्रतिवेदन से प्रतित होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार प/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उदेश्य निजि लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है। अतः– उपरोक्त जॉच प्रतिवेदन पर अंचल–निरिक्षक का मतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनांक 9/4/19 को रखे। (हस्ताक्षर) अंचल अधिकारी धनबाद।	

Scanned with CamScanner

5/4/19 अभिलेख उपस्थापित।अचल निरिक्षक से मतव्य /प्रतिवेदन अप्राप्त है।
अभिलेख दिनांक 23/4/19 को रखे।

अचल अधिकारी
धनबाद।

23/4/19 अभिलेख उपास्थिपित। अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य मे व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नही हो सका।
अभिलेख दिनाक 7/5/19 को रखे।

23.4.19
अचल अधिकारी
धनबाद।

15/6/20 अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक मे विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनाक 29/6/20 को रखे।

15.6.20
अचल अधिकारी
धनबाद।

25/6/20 अभिलेख उपस्थपित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा कोलाकुसमा मौजा नं0 12 खाता 76,123,142 प्लाट नं0 61,74,75,82 रकवा 5 कट्ठा भूमि से सबधित है। आवेदित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबदी रैयत के खोज बीन के उपरान्त पता नही चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति सलग्न)। आवेदित भूमि दाखिल खारिज केस नं0 ....(....) .... के अनुसार कायम है। तत्कालीन अचल अधिकारी , धनबाद द्वारा उक्त पंजी को संदेहास्पद माना गया है। जिसे सबधित उप निरीक्षक एव अंचल निरीक्षक ने उक्त जमाबदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जॉच प्रतिवेदन के आलोक मे जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजें।

लेखापित एंव संशोधत।

25.6.20
अचल अधिकारी,
धनबाद।

25.6.20
अचल अधिकारी,
धनबाद।

Scanned with CamScanner

अंचल अधिकारी का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या— 62 /2019 (अन्तर्गत धारा—4(b), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम् बासुदेव प्र. अग्रवाल

पिता- स्व. प्रद्युम्न मोदी

कोलाडुमरा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा— कोलाडुमरा थाना नं0— 12 खाता नं0— 76,123,142 खेसरा नं0— 61,74,75,82 रकबा— 5ए3डी से संबंधित आपके नाम से ह0 नं0— D के पंजी—II भाग 12 के पृष्ठ 3/83 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक— .... को समय—11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न—I, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहूँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति—युक्त निर्णय लेते हुएं विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि:— मुहर अंचल अधिकारी

स्थान:—

robin C:\Users\HP\Desktop\binod sir\court case.docx

Scanned with CamScanner

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

4134

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- श्री वासुदेव प्रसाद [illegible]
[illegible]

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
[illegible]	12	76 123 142	61 74 75 82	5 [illegible]

3. जमाबंदी पंजी – II के जिल्द संख्या 17 पृष्ठ सं0 3183 पर कायम है–

4. जमाबंदी किस वर्ष से कायम है – 2007-08

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :– गैर आवाद

6. किस सक्षम प्रधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :– लगान धार्य / बन्दो वस्ती/ दा0 खा0 मु0सं0 1532(II)

2007-08 जमाबंदी नं0 3183 [illegible]

7. यदि संदेहास्पद जामबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :– [illegible]

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधर (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोवस्ती –

[illegible] 1644(II) 2006-07 जमाबंदी नं0 332-333,334 [illegible]

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा

दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी/ लगान निर्धारण पंजी / भू – हस्तांतरण पंजी [illegible]

[illegible] 56(II) 79-80

जमाबंदी नं0 166 [illegible]

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र0 संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	2049572	4-11-15	05-06
2	668627	1-11-07	07-08
3	405419	21-6-09	9-10

Scanned with CamScanner